न्यायालय, उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।

दाखिल–खारीज अपील वाद संख्या– $\frac{XV}{05}$ /2013–14

जुगेश्वर प्रजापति एवं अन्य —अपीलार्थी

बनाम

उषा रानी एवं अन्य —विपक्षी

आदेश

28.12.16

यह दाखिल–खारीज अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी, तरहसी द्वारा दाखिल–खारीज वाद संख्या–445/2012–13 में दिनांक 11.01.2013 को ग्राम+ थाना–तरहसी के खाता न0– 45, प्लॉट न0–969, रकबा– 0.14 एकड़, प्लॉट न0–1068, रकबा–0.01 एकड़, प्लॉट न0–1069, रकबा–0.01 एकड़, प्लॉट न0–683, रकबा–0.06 $\frac{1}{2}$ एकड़, प्लॉट न0–1322, रकबा–0.02 एकड़ एवं प्लॉट न0–1733, रकबा–0.06 $\frac{1}{2}$ एकड़, कुल रकबा– 0.31 एकड़ भूमि की विपक्षी के नाम पारित दाखिल–खारीज आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी तथा विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का मुख्य दावा है कि ग्राम तरहसी का खाता न0–45 की भूमि की मांग संयुक्त रूप से भीखारी एवं छठु प्रजापति तथा भरोसा एवं बुधन प्रजापति के नाम से चल रही है। विक्रेता मोस0 जागो कुँअर के नाम से नही चल रही है, इसलिए अंचल अधिकारी को मांगधारियों को सूचना देकर उनका पक्ष सुनने के बाद ही प्रश्नगत भूमि का दाखिल–खारीज आदेश पारित करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी ने बड़े ही जल्दबाजी में दाखिल–खारीज आदेश पारित किया है, क्योंकि विपक्षी संख्या–01 क्रेता ने दिनांक 04.12.2012 को प्रश्नगत भूमि क्रय की और दिनांक 26.12.2012 को दाखिल–खारीज के लिए आवेदन

दिया और उसी दिन इश्तेहार निर्गत किया गया और ठीक 17 दिनों में दिनांक 11.01.2013 को आदेश पारित कर दिया गया है। आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न तो दखल–कब्जा के बिंदु पर अंचल अधिकारी ने स्वयं जाचं किया और न उचित ढंग से आम इश्तेहार का प्रकाशन ही कराया है। अभिलेख के साथ संलग्न इश्तेहार में किस तिथि को और किस गांव में इश्तेहार किया गया है, अंकित नहीं है। अपीलार्थी का दावा है कि विपक्षी संख्या–01 क्रेता प्रश्नगत भूमि क्रय करने के बाद दखल–कब्जा में नहीं आयी है, जिसकी जांच नहीं की गयी। मात्र हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के विपक्षी संख्या–01 की मिलीभगत से बिना स्थलीय जांच के तैयार किया गया जांच प्रतिवेदन पर विश्वास कर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारीज आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी का दावा है कि हल्का कर्मचारी ने जांच प्रतिवेदन में विक्रेता के श्वसुर भरोसा कुम्हार के नाम से जमाबंदी चलने तथा भरोसा के दो पुत्र (1) जुगेश्वर एवं नागेश्वर होने और विक्रेता मोस0 जागो कुँअर के नागेश्वर की विधवा होने की वंशावली दी है, जबकि वास्तविकता है कि खाता न0–45 की भूमि अधीन कुम्हार एवं हनुमान कुम्हार द्वारा विगत सर्वे के पूर्व अर्जित थी तथा दोनो बराबर–बराबर हिस्सा पर अलग–अलग दखलकार थे। अधीन कुम्हार का अपने पीछे दो पुत्र (1) पचु (2) छठु को छोड़कर जबकि हनुमान कुम्हार का अपने पीछे मात्र एक पुत्र सुकूल को छोड़कर निधन हो गया, जो पिता द्वारा छोड़ी गयी भूमि के उतराधिकार एवं दखल–कब्जा में आए। तबतक विगत सर्वे द्वारा खतियान तैयार हो चुका था और खतियान के अभियुक्ति कॉलम में अलग–अलग प्लॉटवारी दखल–कब्जा दिखलाया गया जिसके अनुसार अधीन एवं हनुमान के पुत्र मालगुजारी का भुगतान करने लगे। जमींदारी उन्मूलन के बाद उसी तरह से डिमांड खुला। पंजी दो में भी प्लॉटवारी दखल–कब्जा दिखलाया और उसी के अनुरूप मालगुजारी रसीद निर्गत होने लगा। यह स्पष्ट है कि मांग संयुक्त है, किन्तु प्लॉटवारी दखल–कब्जा है। अपीलार्थी का दावा है कि मोस0 जागो कुँअर द्वारा बिक्री की गयी भूमि उसके हिस्से की भूमि नहीं है और यही वजह है कि क्रेता भूमि के दखल–कब्जा में नहीं आयी और केवाला भी अमल में नहीं आया है। मोस0 जागो कुँअर ने जुगेश्वर कुम्हार, भैंसुर एवं नथुनी कुम्हार के हिस्से एवं दखल–कब्जे वाली

भूमि बिक्री कर दी है। यही नहीं अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी द्वारा बिना स्थलीय जांच किए एवं बिना अन्य मांगधारियों को सूचना देकर सुनवाई किये ही आदेश पारित कर दिया गया है, जो दाखिल–खारीज के नियमों के विरूद्ध है, क्योंकि दाखिल–खारीज के लिए विक्रेता की मांग एवं दखल–कब्जा का होना महत्वपूर्ण बिंदु है। अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, तरहसी द्वारा पारित आदेश को अवैध बतलाते हुए निरस्त करने के लिए निवेदन किया है।

विपक्षी संख्या–01 उषा रानी का दूसरी ओर मुख्य दावा है कि उसने विपक्षी संख्या–02 मोस0 जागो कुँअर से निबंधित केवाला संख्या–8823, दिनांक 06.12.2012 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि क्रय की और दखल–कब्जा में है, जिसके आधार पर जांचोपरांत दखल–कब्जा पाये जाने एवं किसी के द्वारा आपति नहीं दिये जाने के बाद ही अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारीज आदेश पारित किया गया है। विपक्षी का दावा है कि अंचल अधिकारी ने दाखिल–खारीज के कोई नियमों की अनदेखी नहीं की है। विपक्षी का दावा है कि क्रय की गयी भूमि पर विपक्षी संख्या–01 का आवासीय मकान भी है। विपक्षी का दावा है कि अपीलार्थी का दावा स्वत्व, अधिकार से सम्बंधित है, जिसपर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार अंचल अधिकारी का नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा पारित दाखिल–खारीज आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और न उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण ही है। विपक्षी का दावा है कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील कालबाधित है, जो मात्र इसी बिंदु पर खारीज के योग्य है।

निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन तथा विपक्षी के पक्ष में निष्पादित केवाला का अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खाता न0–45 की मांग संयुक्त रूप से भीखारी, छठु, भरोसा एवं बुधन के नाम से चल रही है। हल्का कर्मचारी ने भरोसा की वंशावली दिया है, जिसके अनुसार भरोसा के दो पुत्र (1) जुगेश्वर कुम्हार (2) नागेश्वर प्रजापति हुए। मोस0 जागो कुँअर (विक्रेता) नागेश्वर की विधवा दर्शायी गयी है। अंचल अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रश्नगत भूमि के अन्य मांगधारियों एवं भरोसा के पुत्र जुगेश्वर कुम्हार को पक्ष रखने हेतु कोई सूचना निर्गत नहीं की है और न उनको अपना

(10)

पक्ष रखने का कोई अवसर ही दिया गया है। हल्का कर्मचारी ने ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है कि मांगधारियों के बीच भूमि का बंटवारा हो चुका है और विक्रेता अपने हिस्से की भूमि बिक्री की है। संयुक्त जमाबंदी से किसी एक मांगधारी या उसके वारिसान द्वारा बिक्री की गयी भूमि के दाखिल–खारीज के पूर्व अन्य मांगधारियों को सूचना देकर उनका पक्ष सुनना/जानना अनिवार्य है। आम इश्तेहार का प्रकाशन भी उचित ढंग से किया गया प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इसमें इश्तेहार का स्थान और तिथि अंकित नहीं है। हल्का कर्मचारी ने दखल–कब्जा के बिंदु पर स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं दिया है, बल्कि पूर्व से छापी हुई प्रपत्र में दखलकार छपा हुआ है। अंचल अधिकारी ने दाखिल–खारीज आदेश पारित करने के पूर्व प्रश्नगत भूमि की दखल–कब्जा के बिंदु पर कोई जांच नहीं की है, जो आवश्यक था। स्पष्ट है अंचल अधिकारी, तरहसी द्वारा पारित दाखिल–खारीज आदेश दाखिल–खारीज के नियमों के अनुकूल नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अंचल अधिकारी, तरहसी द्वारा दाखिल–खारीज वाद संख्या–445/2012–13 में दिनांक 11.01.2013 का पारित आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी का अपील–आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 28.12.16

उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।

(हस्ताक्षर) 28.12.16

उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक 631/भू० सु० दिनांक 30.12.16
प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, तरहसी को आदेश की प्रति के साथ दा० खा० वाद सं० 445/12-13 मूल रूप में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक
यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 30.12.16
उप समा० भू० सु०
सदर, मेदिनीनगर